अध्याय 9

आर्थिक नियोजन

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- नियोजन का अर्थ एवं भारत में नियोजन।
- भारत में नियोजन का विकास का क्रम।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना का सार।
- 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाए।
- योजना आयोग।
- राष्ट्रीय विकास परिषद्।
- अन्तर्राज्यीय परिषद्।
- क्षेत्रीय परिषद्।
- वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें।
- नीति आयोग।
- योजना अयोग का इंडिया विजन, 2020।

परिचय (Introduction)

नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग सुनियोजित व सुपरिभाषित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण व न्यायोचित प्रयोग संभव हो सकें। नियोजन अर्थात् नीति निर्माण के माध्यम से ही लक्ष्यों की प्राथमिकता को क्रमबद्ध किया जाता है और संसाधनों का उचित दोहन कर लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। किसी देश का विकास उस देश के नियोजन पर निर्भर करता है।

नियोजन का अर्थ—आर्थिक नियोजन/आयोजन की अवधारणा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न हो सकती है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग-अलग है, परन्तु ध्यान से देखा जाये तो आर्थिक नियोजन एक उद्देश्यपूर्ण और सावधानी से निष्पादित की गयी प्रक्रिया है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग बेहतर ढंग से होता है। साधारण शब्दों में कहा जाये तो 'एक निर्धारित अवधि में सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही 'आर्थिक नियोजन' है।'

भारत में नियोजन—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजनेताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती औपनिवेश से ग्रसित भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी विशेषतायें—गरीबी, बेरोज़गारी, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, गतिहीन कृषि व उद्योग का अल्पविकास थी, में युद्ध स्तरीय परिवर्तन करना था। यह परिवर्तन वृहत आयोजन के बिना संभव नहीं था। अर्थात् भारत को नियोजन की संकल्पना अपनाने की आवश्यकता पड़ी। यह वहीं समयावधि थी जब रूस 'सोवियत रूस' कहलाता था और वहाँ नियोजन की संकल्पना को अपनाने से सोवियत रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी। सोवियत रूस ने गरीबी, बेरोज़गारी व भूख को समाप्त करने के लिए **आयोजन** नामक शस्त्र को चुना। 1928 के पश्चात (नियोजन अपनाने के बाद) रूस में एतिहासिक परिवर्तन हुए व रूस के आर्थिक विकास व औद्योगीकरण की दर, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गयी। 1929 की आर्थिक महामंदी से रूसी अर्थव्यवस्था के अप्रभावी रहने के कारण **'नियोजन की व्यवस्था'** के प्रति विश्वास और मजबूत हो गया। भारतीय आयोजन के शिल्पकार कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू, सोवियत रूस की इस व्यवस्था से अत्याधिक प्रभावित हुए और परिणामस्वरूप भारत में भी आयोजन की प्रक्रिया अपनाने पर विशेष बल दिया गया।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आयोजन का स्वरूप 'लोकतांत्रिक समाजवाद' का था, जबकि सोवियत रूस की आयोजन की संकल्पना में

'पूंजीवादी लोकतांत्रिक' मूल्यों को समायोजित कर आर्थिक व सामाजिक विकास का प्रयास किया गया था। भारत ने जिस लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, उसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नवत् हैं—

- सभी के लिए समान अवसर।
- गरीबी उन्मूलन।
- आय और सम्पत्ति की असमानताओं में कमी।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास।
- एकाधिकारिक प्रवृत्तियों वं आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकना।
- आर्थिक निर्णय का आधार निजी लाभ न होकर सामाजिक लाभ होना।

सोवियत रूस के 1991 में पतन व पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों में राजनैतिक व आर्थिक उथल-पुथल के चलते, इन देशों में 'बाजार आधारित अर्थव्यवस्था' को लागू किया गया। इस घटनाओ से भारत द्वारा 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' अपनाये जाने का निर्णय सही साबित हुआ जिसके माध्यम से भारत को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा।

तालिका 9.1: भारत में नियोजन का विकास कार्य

वर्ष	नियोजन का प्रयास
1934	सर्वप्रथम भारत में नियोजन का साक्ष्य एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक Planned Economy for India में मिलता है, जो 1934 में प्रकाशित हुई थी।
1938	भारत में नियोजन की आवश्यकता व सम्भावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) में सर्वप्रथम एक 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
1944	गांधीजी के आर्थिक विचारों से प्रभावित होकर श्री मन्नारायण द्वारा **'गांधीवादी योजना'** प्रस्तुत की गयी।
1944	मुम्बई के आठ उद्योगपतियों द्वारा अर्देशिर दलाल की देख-रेख में **'बाम्बे योजना'** प्रस्तुत की गयी।
1946	श्रमिक नेता एम. एन. राय द्वारा **'जन योजना'** प्रस्तुत की गयी।
1950	जयप्रकाश नारायण द्वारा **'सर्वोदय योजना'** प्रस्तुत की गयी।

नोट—उपरोक्त प्रयासों के बाद भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और यही से भारत में नियोजन का काल प्रारंभ होता है। अब तक भारत 12 पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है।

तालिका 9.2: प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं योजना का सार

योजना	केन्द्रीय बिन्दु	योजना आयोग के अध्यक्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
प्रथम (1951-56)	कृषि विकास पर बल	पं. जवाहर लाल नेहरू	• 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुण्ड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ इस पंचवर्षीय योजना में किया गया।
द्वितीय (1956-61)	आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास	पं. जवाहर लाल नेहरू	• राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर (प. बंगाल) इस्पात संयंत्रों की स्थापना। • इन्टेग्रल कोच फैक्टरी एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी योजना की देन है।
तीसरी (1961-66)	आत्मनिर्भर व स्वत: स्फूर्ति अर्थव्यवस्था	पं. जवाहर लाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री	• भारत-चीन युद्ध (1962), भारत-पाक युद्ध (1965) और 1965-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ा। • 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री (झारखंड) रूस के सहयोग से स्थापित।
वार्षिक योजना (1966-1969)	योजना अवकाश	श्रीमति इंदिरा गांधी	• 1969 में लीड बैंक योजना का प्रारंभ। • 1966-67 के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ।

नोट—इन वार्षिक योजनाओं को योजनावकाश का नाम दिया गया।

(Continued)

योजना	केन्द्रीय बिन्दु	योजना आयोग के अध्यक्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
चौथी (1969-74)	स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्म निर्भरता की ओर प्रगति	श्रीमती इंदिरा गांधी	• 1969 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया।
पांचवीं (1974-78)	गरीबी उन्मूलन तथा आत्म निर्भरता	श्रीमती इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई	• 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरूआत। जनता सरकार के सत्ता में आने से योजना को एक वर्ष पूर्व में समाप्त कर दिया गया। परन्तु बाद में 1978-79 में पुन: चालू कर दिया गया जिसे 5वीं योजना का ही भाग माना गया। 1978-83 की अवधि के लिए छठीं योजना जनता पार्टी द्वारा तैयारी की गयी परन्तु 1980 में श्रीमती गांधी के सत्ता में लौटने से पुन: नयी छठी योजना लागू की गयी जिसकी समयावधि 1980-1985 की थी। भारत के आयोजन के इतिहास में पहली बार किसी योजना को दो बार अलग-अलग अवधियों के लिये तैयार किया गया था।
छठवीं (1980-85)	गरीबी निवारण तथा रोज़गार सृजन	श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी	• 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड और 1982 में ही एक्ज़िम बैंक की स्थापना। गरीबी निर्देशांक ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया।
सातवीं (1985-90)	कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति	राजीव गांधी व वी.पी. सिंह	• सितंबर 1986 में कपार्ट की स्थापना। 1988 में सेबी की स्थापना।
वार्षिक योजना (1990-92)	योजना अवकाश	चन्द्रशेखर व पी. वी. नरसिंह राव	• 1991 में आर्थिक सुधार की नीति अपनायी गयी। 1990 में SIDBI की स्थापना की गयी।
आठवीं (1992-97)	आर्थिक, समृद्धि रोज़गार एवं उदारीकरण	पी. वी. नरसिंह राव व एच.डी. देवगौड़ा	• 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य बना। 1993 में शिक्षित बेरोज़गारों के लिये 'प्रधानमंत्री रोज़गार योजना' शुरू की गयी।
नवीं (1997-2002)	मानव विकास पर बल	इंद्र कुमार गुजराल व अटल बिहारी वाजपेयी	• 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना का प्रारंभ हुआ। • स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000-01) प्रारंभ की गयी। • वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गयी।
दसवीं (2002-2007)	सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास	अटल बिहारी वाजपेयी	• इस योजना में वर्ष 2005-06 में भारत निर्माण योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं जेएनयूआरएम आदि महत्वकांक्षी योजनाओं का प्रारंभ किया गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 (11th Five-Year Plan)

भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद (**National Development Council, NDC**) का अनुमोदन 19 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गया था योजना में 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ अन्तिम वर्ष 2011–12 में 10 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। 9 प्रतिशत वार्षिक विकास के लिए 2007–12 के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत तथा उद्योगों व सेवाओं में 9 से 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में थे। इस योजना के अन्य सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निम्नवत् है—

11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ

- ग्यारहवीं योजना (2007–12) में 9 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था जिसे बाद में संशोधित करके 8.1 प्रतिशत कर दिया गया, किन्तु 7.9 प्रतिशत प्राप्ति ही वास्तविक प्राप्ति रही।
- कृषि क्षेत्र में विकास दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, किन्तु इस योजना के पहले 4 वर्षों (2007–11) के दौरान इस क्षेत्र में हासिल की गई विकास दर लगभग 3.2 प्रतिशत रही।
- कृषि क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान (2004–05 की कीमतों पर) लगभग 15.7 प्रतिशत और निर्यात में 10.23 प्रतिशत रहा है, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2 प्रतिशत लोगों को रोज़गार भी मिला।
- ग्यारहवीं योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कम-से-कम दो करोड़ टन की वृद्धि के मिशन के अंदाज से राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 250.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया।
- 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ कि गई। इसके लिए ₹ 25 हजार करोड़ आवंटित किए गये हैं।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में निरन्तर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्ष 2010–11 से सॉफ्टवेयर और सेवाओं का अनुमानित निर्यात 59 अरब डॉलर का रहा।

12वीं योजना के दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास परिषद की मंजूरी (Approval to 12th Plan by National Development Council)

देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य अब 8.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया। योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.2 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया। इस संशोधन के साथ 12वीं योजना के दस्तावेज को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली परिषन ने 27 दिसम्बर, 2012 के नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक में स्वीकार किया गया। **यह दूसरा अवसर है जब इस पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास का लक्ष्य घटाया गया है। योजना के एप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9.1 प्रतिशत का निर्धारित किया गया था जिसे बाद में सितम्बर 2012 में घटाकर 8.2 प्रतिशत किया गया था।** 12वीं पंचवर्षीय योजना में पांच वर्ष की अवधि में गैरकृषि क्षेत्र में रोज़गार के 5 करोड़ नए अवसर सृजित करने तथा देश में निर्धनता अनुपात में 10 प्रतिशत बिन्दु की कमी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रारूप

योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 8.2 प्रतिशत से घटाकर 8.0 प्रतिशत कर दिया है। इस संशोधन के साथ 12वीं योजना के दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास परिषद् की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक में स्वीकार किया गया।

बारहवीं योजना (2012–17) के लिए 8 प्रतिशत का विकास दर के लक्ष्य के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संवृद्धि लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार है—

(अ) 1. कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन	**4%**
(ब) उद्योग (2 से 5)	**7.6%**
2. खनन एवं उत्खनन	5.7%
3. विनिर्माण	7.1%
4. विद्युत गैस एवं जलापूर्ति	7.3%
5. निर्माण	9.1%
(स) सेवाएं (6 से 9)	**9.0%**
6. व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	7.4%
7. परिवहन, भंडारण एवं संचार	11.8%
8. वित्तीयन, बीमा, स्थावर सम्पदा एवं व्यापारिक सेवाएं	9.9%
9. सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	7.2%

बारहवीं याजना के दौरान (2004–05 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

(i) सकल घरेलू बचत दर	33.6%
(ii) निवेश दर	38.8%

योजना आयोग (Planning Commission)

1946 में गठित के. सी. नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर-सांविधिक तथा

परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। सरकार द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं—

- देश के मानवीय, पूंजीगत एवं भौतिक संसाधनों का अनुमान लगाना और इनके सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिये योजना निर्मित करना।
- योजना के प्रत्येक चरणों का निर्धारण और प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों के आवंटन करने का प्रस्ताव करना।
- आर्थिक विकास में बाधक तत्वों को उजागर करना एवं उन परिस्थितियों का निर्धारण करना, जो वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- योजना विशेष के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की समय-समय पर समीक्षा करना और यथेष्ट सुधारात्मक सुझाव देना।
- **योजना आयोग के सदस्य—**
  - आयोग के पदेन अध्यक्ष—प्रधानमंत्री
  - उपाध्यक्ष—(केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है)
  - तीन पूर्णकालिक सदस्य तथा तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। (सदस्यों की संख्या एवं कार्यकाल निश्चित नहीं)

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

6 अगस्त, 1952 को मंत्रिमंडल सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा गैर-सांविधिक निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय विकास परिषद' का गठन किया गया। इसके प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं—

- ऐसी सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना, जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है।
- राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना एवं प्रशासनिक दक्षता को सुधारना।
- अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना।
- योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओ का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात् उसे अन्तिम रूप प्रदान करना। अर्थात् राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति के बाद ही योजना आयोग द्वारा निर्मित कोई योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है।
- **एनडीसी के सदस्य—**
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास की परिषद का अध्यक्ष होता है।
  - योजना आयोग के सभी सदस्य
  - मंत्रि मंडल (कैबनेट) के सभी सदस्य
  - राज्यों के मुख्यमंत्री
  - केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक/उपराज्यपाल

अन्तर्राज्यीय परिषद् (Interstate Council)

अन्तर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 मे ऐसी परिषद् की स्थापना, संगठन, प्रक्रिया तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नवत् है—

- राज्य तथा केन्द्र के मध्य जो विवाद हों उनकी जाँच कर उचित सलाह देना।
- राज्यों तथा केन्द्र के समान लाभ से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करना।
- उपयुक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय हेतु कार्यवाही की सिफारिश करना।
- अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत यह वर्णन है कि यह परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी।

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Council)

देश के प्रथम प्रधानमंत्री प. जवाहर लाल नेहरू द्वारा क्षेत्रीय परिषद की संकल्पना 1956 में प्रस्तुत की गयी। भारत 6 क्षेत्रों यथा-पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (1971 में इस क्षेत्र को पूर्वी राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु गठित किया गया) में विभाजित है। इन क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य पुर्नगठित विधियक 1956 में पारित किया गया।

वित्त आयोग (Finance Commission)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के उपबंध के तहत प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक संगठन है। आयोग, करों से प्राप्त राजस्व का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण किस प्रकार किया जाए, इस आशय हेतु राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें पेश करता है।

तालिका 9.3: वित्तीय आयोग

	प्रथम वित्त आयोग	13वाँ वित्त आयोग	14वाँ वित्त आयोग
• अध्यक्ष	के.सी. नियोगी	विजय केलकर	वाई.वी. रेड्डी
• समय अवधि	1952-57	2010-2015	2015-2020
• आयोग का गठन	1951	नवम्बर 2007	जनवरी 2013
• अन्य सदस्य	-	बी.के. चतुर्वेदी, अतुल शर्मा, संजय मिश्रा, इंदिरा राजारमन	प्रो. अभिजीत सेन, सुषमा नाथ, डॉ. एम. गोविंद राव, डा. सुदिप्तो मुंडले

14वाँ वित्त आयोग एवं प्रमुख अनुशंसायें

केन्द्र सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2015 को की गई घोषणा के अनुसार, केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई।

प्रमुख अनुशंसाएँ

- आयोग ने केन्द्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 10% वृद्धि की सिफारिश की थी। अब केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% (13 वे वित्त आयोग की सिफारिश) से बढ़कर 42% की गई।
- केन्द्र सरकार की ओर से योजना और अनुदान आधारित मदद के स्थान पर 'अब प्रदर्शन आधारित' सहायता का प्रावधान किया गया।
- कुल जनसंख्या, आय में विषमता, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाएगा।
- पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों को 31 मार्च, 2020 तक (पाँच वर्ष की अवधि के लिए) कुल ₹ 287436 करोड़ अनुदान का प्रावधान है।
- ग्राम पंचायतों को ₹ 180262 करोड़ मूल अनुदान के रूप में मिलेंगे, जबकि ₹ 20029 करोड़ सभी राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर अनुदान के रूप में मिलेंगे। कुल मिलाकर 42% राज्यों को दिये जाने के अलावा भी 11 राज्यों को अतिरिक्त राशि आवंटन का प्रावधान है।
- इन 11 राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असोम, पश्चिम बंगाल, केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड ओर त्रिपुरा शमिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु की केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी प्रतिशत पहले की तुलना में आंशिक रूप से कम की गई है।
- आयोग ने आपदा प्रबन्धन के लिए 61219 करोड़ का राज्य आपदा राहत कोष बनाने की सिफारिश की। इसमें केन्द्र 55097 करोड़ और राज्य 6122 करोड़ का योगदान देंगे।
- राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2015-16 में 3.6% और वर्ष 2016-17 में 3% के दायरे में रखने का सुझाव दिया गया।
- आयोग ने राजकोषीय स्थिति की निगरानी के लिए 'स्वतन्त्र राजकोषीय काउन्सिल' के गठन की सिफारिश की। इसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) में बदलाव की सिफारिश भी की गई।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का उच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता, कम प्राथमिकता और बिना प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण करने की सिफारिश। बीमार और गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की पारदर्शी नीलामी की सिफारिश।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में विनिवेश प्रत्येक वर्ष बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- राज्यों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाये, जहां केन्द्र से सीधे धन आवंटित किया जा सके।
- वर्ष 2016 से प्रस्तावित जीएसटी के पहले तीन वर्षों तक राज्यों को 100% क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से दी जाएगी। चौथे वर्ष में 75% और पाँचवें वर्ष में 50% क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- हाई-वे टोल निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता निगरानी के लिए स्वतन्त्र नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाय।
- बिजली अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए जांय। बिजली पानी का वितरण पूरी तरह से मीटर के आधार पर किया जाय।

नोट: 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में राष्ट्रपति द्वारा एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्यो में शामिल है— शक्तिकांत दास, प्रो. अनूप सिंह, प्रो. रमेश चन्द्र व अरविन्द मेहता। एन के.सिंह योजना आयोग के अन्य सदस्य डॉ अशोक लाहिडी रह चुके है।

नीति आयोग (NITI Aayog)

नई सरकार के पहले नववर्ष के अवसर पर नए संस्थान 'नीति आयोग' (NITI Ayog) जिसका पूरा नाम **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रासफॉर्मिंग इंडिया** है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया और इसी समय योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा भी की गयी।

15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्ताव क माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसके स्थान पर 1 जनवरी, 2015 को एक नया **मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई** है। इस प्रकार नीति आयोग का गठन भी एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह भी एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। प्रस्ताव जारी करते हुए सरकार ने बताया है कि यह संस्थान सरकार के **थिंक टैंक** के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा।

स्मरणीय तथ्य

नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य—

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना।
- सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।
- सामाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यन देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो।
- रणनीतिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम का ढ़ांचा तैयार करना।

- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी के लिए परामर्श और प्रोत्साहन देना।
- कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रोद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष बल देना।
- नीति आयोग का गठन निम्न प्रकार से होगा—
  - **अध्यक्ष**—भारत का प्रधानमंत्री
  - **गवर्निंग काउंसिल**—राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  - **क्षेत्रीय परिषद्**—विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य, क्षेत्र से हो, के लिए।
  - बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर होगी
  - परिषद में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- **विशेष आमंत्रित सदस्य**—प्रधानमंत्री द्वारा नामित।
- **उपाध्यक्ष**—प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- **सदस्य**—(i) पूर्ण कालिक (ii) अंशकालिक
- **पदेन सदस्य**—केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित।
- **मुख्य संचालन अधिकारी**—भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- **सचिवालय**—आवश्यकतानुसार
- **मुख्यालय**—नई दिल्ली
- 2 जनवरी, 2015 को योजना भवन के स्थान पर 'नीति आयोग' का नया बोर्ड लगा दिया गया है।

तालिका 9.4: नवगठित नीति आयोग

पद	नाम
अध्यक्ष (पदेन)	प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
सीईओ	अमिताभ कांत
उपाध्यक्ष	राजीव कुमार (अर्थशास्त्री)
पूर्णकालिक सदस्य	श्री बिबेक देबरॉय, (अर्थशास्त्री) डॉ. वी.के. सारस्वत, (पूर्व सचिव रक्षा आरएंडडी)
पदेन सदस्य	श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली, केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री
विशेष आमंत्रित	श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरान, केंद्रीय मंत्री

ध्यातव्य हो कि

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगणिया का स्थान अर्थशास्त्री डॉ. राजीव कुमार ने लिया है।

- इस परिवर्तन के क्रम मे पहला कार्य यह किया गया है कि योजना आयोग की वेबसाइट को त्वरित प्रभाव से 'संग्रहित' (Archieved) कर दिया गया है।
- योजना आयोग के सभी पूर्व दस्तावेजों को इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- एक बात और स्पष्ट है कि योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले अधिकांश परंपरागत कार्य नीति आयोग को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।
- योजना आयोग के उपाध्यक्ष Deputy Chairman कहलाते थे, इस जबकि नवगठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष Vice Chairman कहे जायेगें।

योजना आयोग का इंडिया विजन, 2020 (Planning Commission's India Vision, 2020)

आने वाले दो दशकों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का पूर्वाकलन करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज '**इंडिया विजन-2020**' योजना आयोग ने 23 जनवरी, 2003 को जारी किया था। योजना आयोग के सदस्य श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए 97 पृष्ठों के इस दस्तावेज में यह नहीं दर्शाया गया कि दो दशकों बाद वास्तविक स्थिति क्या होगी, बल्कि यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है?

विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार इस दस्तावेज में आशा व्यक्त की गई है कि 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से रोज़गार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर सन 2020 तक सृजित किए जा सकेंगे इसके साथ ही कृषि में रोज़गार 56 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटकर 40 प्रतिशत ही रह जाएगा। रोज़गार के नए अवसर मुख्यत: असंगठित क्षेत्रों में सृजित होने की सम्भावना, इस दस्तावेज में बताई गई है। दस्तावेज के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 25.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर 2020 तक 40 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। शहरों व गांवों में व्यापक जल संरक्षण कार्यक्रमों को बावजूद बड़े शहरों में जल संकट की स्थिति बने रहने की बात भी इस दस्तावेज में कही गई है। दस्तावेज के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में आधिक्य की स्थिति के बावजूद कुपोषण की पूर्ण अनुपस्थिति निश्चित नहीं है।

दस्तावेज को जारी करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के.सी. पंत ने कहा कि लोकतंत्र में अनिश्चितताओं की विद्यमानता रहती है। इसलिए 20 वर्ष आगे के लिए स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है, किन्तु सकारात्मक नीतियों के कार्यान्वयन व दृढ़ इरादों के साथ क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है? यह दर्शाने का प्रयास इस दस्तावेज मे किया गया है।

तालिका 9.5: इण्डिया विजन-2020 के महत्वपूर्ण लक्ष्य

विकास के सूचक	2000 की स्थिति	2020 की सम्भावना
1. गरीबी रेखा से नीचे की आबादी (% में)	26 प्रति हज़ार	13 प्रति हज़ार
2. बेरोज़गारी की दर	7.3 प्रति हज़ार	6.8 प्रति हज़ार
3. वयस्क पुरूष साक्षरता	68 प्रति हज़ार	96 प्रति हज़ार
4. वयस्क महिला साक्षरता	44 प्रति हज़ार	94 प्रति हज़ार
5. प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला	77.2 प्रति हज़ार	99.9 प्रति हज़ार
6. शिक्षा पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	3.2 प्रति हज़ार	4.9 प्रति हज़ार
7. जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)	64 वर्ष	69 वर्ष
8. 5 वर्ष से कम के बच्चों में कुपोषण	45 प्रति हज़ार	8 प्रति हज़ार
9. स्वास्थ्य पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	0.8	3.4
10. प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत (किलोग्राम तेल के समतुल्य)	486.0	2002.0
11. बिजली खपत (किलोवाट प्रति घंटे)	384.0	2460.0
12. टेलीफोन (प्रति हज़ार आबादी पर)	34.0	203.0
13. व्यक्तिगत कम्प्यूटर (प्रति 1000 पर)	3.3	52.3
14. अनुसंधान व विकास में लगे वैज्ञानिक व इंजीनियरों की संख्या (प्रति एक लाख आबादी में)	149.0	590.0
15. सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा		
(i) कृषि	28.0 प्रति हज़ार	6.0 प्रति हज़ार
(ii) उद्योग	26.0 प्रति हज़ार	34.0 प्रति हज़ार
(iii) सेवा क्षेत्र	46.0 प्रति हज़ार	60.0 प्रति हज़ार
16. कुल पूँजी निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा	2.1 प्रति हज़ार	24.5 प्रति हज़ार
17. शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	71 प्रति हज़ार	22 प्रति हज़ार

अध्याय सार संग्रह

- प्रथम से दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धान्त रोज़गार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय थे।
- पिछड़े देशों के लिए 'रोलिंग प्लान' का सुझाव गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था।
- भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार NDC को है।
- सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण NDC एवं NITI Aayog है।
- योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केन्द्रीय मंत्री के बराबर का दर्जा प्रदान किया गया है।
- हेरालड-डोमर मॉडल पर आधारित योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) है।
- भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7 वीं पंचवर्षीय योजना का था।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना को 'कृषि एवं सिंचाई योजना' की संज्ञा प्राप्त है।
- कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर व्यय करने वाली योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना (कुल व्यय का 31.0%) है।
- अनवरत योजना के दौरान गाँधी वादी नीति का अनुसरण किया गया।
- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, जिसका सम्बन्ध राजस्व खाते से है।

- योजना आयोग एक परामर्शदात्री निकाय जिसका संबंध पूंजीगत खाते से है।
- आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में मिलता है।
- भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।
- तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अपनाया गया।
- प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2002 में जारी की गयी।
- देश में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त 11वीं पंचवर्षीय योजना में (7.8%) में की गयी।
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में प्रारम्भ किये गये।
- अनवरत योजना वर्ष 1978-79 में कार्यशील थी।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कुल 6 वर्ष (तीसरी योजना के बाद 1966 से 1969 वर्ष, पाँचवीं योजना के बाद 1979 से 1980-81 वर्ष सातवीं योजना के बाद 1990 से 1992 (2 वर्ष) अनाच्छादित हैं।